

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 2719
गुरुवार, 22 दिसंबर, 2022 / 1 पौष, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नागर विमानन क्षेत्र में निजी निवेश

2719. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में नागर विमानन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए इसमें निजी निवेश आमंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के निकट मुरादाबाद/निकट स्थित मुंथा पांडे हवाई पट्टी के सुचारु संचालन के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त हवाई पट्टी को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति 2017 तथा नागर विमानन पर एफडीआई नीति की समीक्षा के संबंध में 2020 के प्रेस नोट के अनुसार, नागर विमानन के तहत हवाई यातायात सेवाओं में इक्विटी/एफडीआई सीमा का प्रतिशत, नीति में दी गई कुछ शर्तों के अध्वधीन, 100% है।

(ख) और (ग): उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद हवाईअड्डे को उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत उड़ानों के प्रचालन के लिए चिन्हित किया गया है। उड़ान योजना के तहत उड़ानों के प्रचालन के लिए, मुरादाबाद हवाईअड्डे पर जीर्णोद्धार/स्तरोंन्नयन कार्यों को "अपरिचालित एवं अल्पपरिचालित हवाईअड्डों का जीर्णोद्धार" योजना के तहत, 24.80 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है।

मुरादाबाद को कानपुर तथा लखनऊ से जोड़ने वाले मार्गों को, उड़ान योजना के तहत चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को अवार्ड किया गया है। उड़ान योजना के तहत, चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जाने के 180 दिनों की अवधि के भीतर, उनके द्वारा किसी मार्ग पर उड़ान का प्रचालन शुरू किया जाना अनिवार्य है, जब तक कि क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा समय-सीमा बढ़ाई न गई हो।
